

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्रा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

कीठसीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.ए.

राजस्व वाद संख्या :- 131/2020

1. सुनील कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. नीलम पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादीगण

बनाम

1. भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. ज्यानादेवी पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. जगदीश पुत्र भादरराम निवासी जाति जाट श्योदानपुरा तहसील टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. सलौनी पुत्री जगदीश नाबालिग जो अब बालिग है जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. निर्मला पुत्री भादरराम पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सुमेस्ता पुत्री भादरराम पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. संतोष पुत्री मंजु पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. कविता पुत्री मंजू नाबालिग जो अब बालिग है, जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. रीटा पुत्री मंजू नाबालिग जो अब बालिग है जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
10. रामप्रकाश पुत्र मंजू नाबालिग जो अब बालिग है जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 31.05.2024

वादीगण की ओर से श्री अब्दुल सतार जोइया अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से रूपराम कासनिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.05.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.ए. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये

पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक न० 22 के एन एन पटवार हल्का खिनानिया के प०न० 277/372 मु० न० 11 किला न० 21 ता 23, प०न० 277/373 मु०न० 16 किला न० 1 ता 3, 7 ता 14, 20 कुल 3.795 है० भादरराम के नाम से दर्ज आराजी में से 2.277 है० आराजी वादी स० 1 सुनील कुमार को तथा 1.265 है० आराजी वादीया नीलम के नाम से दर्ज की जावे तथा चक न० 20 के एनएन के प०न० 279/368 मु० 45 किला न० 8/2/.127, 9 ता 13, 18 ता 21, प०न० 279/369 मु० न० 46 किला न० 1/1/.126 कुल .253 है० संयुक्त आराजी में प्रतिवादीया ज्याना देवी के नाम से दर्ज 1/2 हिस्स यानि 1.265 है० में से 1.012 है० आराजी वादीया स० 2 नीलम के नाम से दर्ज की जावे चक न० 22 के एनएन के खाता स० 73 में से प्रतिवादी स० 1 भादरराम का हिस्सा कम व चक न० 20 के एनएन के खाता स० 55 में से प्रतिवादीया स० 2 ज्यानादेवी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 31.05.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
टिब्बी

### वाद के खर्चे

| वादी                            | रूपया | प्रतिवादी                       | रूपया |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| वाद पत्र के लिये स्टाम्प        | ---   | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प      | ---   |
| शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प      | ---   | अर्जी के लिये स्टाम्प           | ---   |
| प्रदर्शों के लिये स्टाम्प       | ---   | प्लीडर की फीस                   | ---   |
| रूपये पर प्लीडर की फीस          | ---   | साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता | ---   |
| साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता | ---   | आदेशिका की तामिल                | ---   |
| कमिश्नर की फीस                  | ---   | कमिश्नर की फीस                  | ---   |
| आदेशिका की तामिल                | ---   |                                 |       |
| योग                             | ---   | योग                             | ---   |